

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 1555

दिनांक - 29/4/2023

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 किरताराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी सादुलाणियों का तला, सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

1 चौखाराम पुत्र खेताराम वगौराह जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का तला, सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 255/2022


दिनांक- 21/04/2023

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सादुलाणियों का तला पटवार क्षेत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1168/936 रकबा 0.01 बीघा, खसरा संख्या 1174/937 रकबा 11.

16 बीघा, खसरा संख्या 1177/937 रकबा 10.02 बीघा, खसरा संख्या 1178/937 रकबा 38.

14 बीघा कुल रकबा 60.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 29/04/2023

क्रमांक :- रीडर/2023/1555-1559

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सनावड़ा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. किरताराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी सादुलाणियों का तला, सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी चौखाराम पुत्र खेताराम वगौराह जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का तला, सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर